विधान परिषद के प्रथम सत्र-2023 के द्वितीय शुक्रवार के लिये निर्धारित, डॉ मान सिंह यादव मा0 सदस्य विधान परिषद पूँछे गये अतारॉंकित प्रश्न संख्या-38 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
38-क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्रम विभाग के उप निरीक्षकों की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री,स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार का पत्र दिनांक 05 दिसम्बर,2020 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	मा0 सदस्य द्वारा विषयगत प्रश्न में उल्लिखित, तत्कालीन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री,स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार का दिनांक 05 दिसम्बर,2020 का पत्र श्रम विभाग के उप निरीक्षकों की समस्या से सम्बन्धित न होकर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत रहे एवं त्यागपत्र देकर दिल्ली पुलिस में कार्यभार ग्रहण कर चुके उपनिरीक्षक ना0पु0 जय किशन को पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में था,प्राप्त हुआ है।
यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र में किये गये अनुरोध पर कार्यवाही करा दी गई है?	अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार श्री जयकिशन द्वारा दिल्ली पुलिस के आरक्षी पद से तकनीकी त्याग पत्र के उपरान्त दिनांकः 01.12.2015 को उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) के पद पर पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर मेरठ में ज्वाइन किया गया था। तदुपरान्त आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनाँक 28.08.2017 द्वारा इन्हें जनपद-बरेली आवंटित किया गया। तद्क्रम में इनके द्वारा दिनांकः 04.09.2017 को जनपद बरेली में आमद दर्ज करायी गयी। इसके पश्चात जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान दिनांकः 17.10.2017 को प्रथम बार त्यागपत्र सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र श्री जय किशन द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार पुलिस महा निरीक्षक बरेली के आदेश दिनांकः 29.12.2017 द्वारा इनकी कांउसलिंग हेतु समिति गठित की गयी। समिति की काउंसलिंग के पश्चात इनके अनुरोध पर त्याग पत्र सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर पुनर्विचार कर अवगत कराने हेतु एक दिन का समय प्रदान किया गया तथा इनके द्वारा आवेदित 03 दिवसीय अवकाश को भी स्वीकृत किया गया। अवकाश उपभोग करने के पश्चात पुनः इनके द्वारा काउंसलिंग समिति को अवगत कराया गया कि यह अपनी सेवाऐं निरन्तर रखना चाहते हैं। यदि सेवा जारी रखने में

	कोई बाधा महसूस होगी तो वह पुनः अपनी सेवा से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देकर सेवा से मुक्त हो जायेगा । तत्पश्चात इनके द्वारा स्वेच्छा से दिनांकः 13.11.2018 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से त्याग-पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली द्वारा विचारोपरान्त आदेश दिनाँक 24.11.2018 द्वारा इनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली-2000 (दिनांकः 26.06.2000) के नियम-7 में निहित व्यवस्थानुसार कार्मिक अपनी सेवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही अपना त्याग-पत्र वापस ले सकता है।इसके पश्चात एतद्हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के पोषणीय न होने की स्थिति में नियमानुसार इन्हें पुनः सेवा में लिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
यदि नहीं,तो कब तक उक्त पत्र में किये गये अनुरोध पर कार्यवाही करायेंगे ?	प्रश्न नही उठता ।

01/03/2023

02.03.2023

(केशव प्रसाद मौर्य)
नेता सदन, विधान परिषद
एवं उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री